न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 130/2013

मोडुराम पुत्र फूसाराम जाति नायक निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान।
2. रामकिशन पुत्र देवाराम जाति नायक निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. धापी पुत्री देवाराम जाति नायक निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. गोरली पुत्री देवाराम जाति नायक निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
5. मोहबता पुत्र देवाराम जाति नायक निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर । – मृतक

5/1नेनूदेवी बेवा मोहबता पुत्री देवाराम
5/2 हरीचन्द पुत्र मोहबता पुत्र देवाराम
5/3 मगताराम पुत्र मोहबता पुत्र देवाराम
5/4 वीरूराम पुत्र मोहबता पुत्र देवाराम
5/5 कान्ती पुत्री मोहबता पुत्र देवाराम
5/6 फूसी देवी पुत्री मोहबता पुत्र देवाराम

जाति नायक निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर

——रेस्पोडन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 04.12.2012

उपस्थितिः—

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक अपीलार्थी

23/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री विपिन सिद्ध, अभिभाषक

श्री इकबालसिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद कमांक 252 दिनांक 04.12.2012 के विरूद्ध पेश की है उक्त सनद चक 1 डी बड़ी के मु.न. 51 व 6 की 5.629 है. भूमि आवंटी देवा, सुगनी, जैसी, धापी, मोहबता, गौरा, रामकिशन के नाम से जारी की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि देवा को आवंटन हुई थी देवा के वारिस में अपीलांट का पिता फूसाराम भी था, फूसाराम को 5 बीघा भूमि मिली थी तथा फूसाराम ने 5 बीघा भूमि की वसीयत अपने जीवनकाल में अपीलांट के पक्ष में कर दी इस प्रकार विवादित भूमि में वसीयत की रूप से 5 बीघा का हक अपीलांट का बनता है। सनद जारी करने से पूर्व को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कराने हेतु दफा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट की भूमि की उसके नाम से सनद जारी करने का आदेश दिया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि देवा को पाक विस्थापित के रूप में आवंटित हुई थी एवं उसकी सनद देवा व उसके वारिसान के नाम जारी की गई है जिसमें कोई विधिक त्रृटि नहीं होने से अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील आदेश दिनांक 04.12.2012 के विरूद्ध दिनांक 25.06.2013 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो.ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र

23/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पेश नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद दिनांक 04.12.2012 के विरूद्ध पेश की है जिसमें पाक विस्थापित गैरदावेदार देवा पुत्र चन्दू को आवंटित भूमि की सनद में अपीलांट का पूर्वज फूसाराम के नाम दर्ज होने से सनद अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पाक विस्थापित देवा पुत्र चन्दु को The displaced persons (compensation and Rehablitation) Rules 1955 के नियम 63 के प्रावधानुसार गैरदावेदार के रूपमें ग्राम 1 डी बड़ी में 26.10 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया गया जिसकी सनद जारी की गई। अधी.न्यायालय का आधार आवंटन एवं आवंटन का आधार बैसिक रजिस्टर है। इन आदेशें की इबारते कमशः है कि Allotment certificate for displaced persons settled on land in ganganagar distt. N. 4 ID-27 date of issue 28-06-54 तथा बैसिक रजिस्टर की इबारत है कि देवा वल्द चन्दू नायक कॉलम नं. 3 में सुगनी, जेसी, धापी, मोहवता, गौरा, रामकिशन चक 17 रियासत बहावलपुर अंकित है जिसमें भूमि का अंकन किया गया है। परिणामतः जारी सनद की इबारत है कि देवा पुत्र चन्दूराम, सुगनी, जेसी, धापी, मोहवता, गौरा, रामकिशन के नाम अंकित है। तीनों ही दस्तावेजों में एक रूपता होने से जारी सनद में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी.न्यायालय द्वारा जारी सनद यथावत रखी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/18

(प्रेमप्रकाश परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर